

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 144/2021

1. धर्मपाल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

:- वादी

ब नाम

1. शांति पत्नी गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

2. औमप्रकाश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

3. महावीर प्रसाद पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

4. रायसिंह पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बैरवाल: वादी

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 31.3.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 370/348 के खसरा सं० 292 की 3.9460 है० बरानी, खसरा सं० 576 की 5.0970 है० बरानी कुल 9.0430 है० बरानी खातेदारी वादी के पिता गिरधारी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मंगतु की खातेदारी हुआ करती थी। मंगतु के बाद उक्त भूमि को वादी के पिता गिरधारी ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है। वादी के पिता गिरधारी की मृत्यु 12.12.1967 को हो गई थी। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

कलक्टर
स्ट्रैक)भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान

पत्र त दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडव्यु 1 धर्मपाल पुत्र गिरधारी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी कणाउ संवत् 2076-79 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र गिरधारी नायब तहसीलदार नाथूसरी चौपटा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र गिरधारी ग्राम पंचायत साहुवाला ॥ प्रदर्श 3, शपथ पत्र मय मृत्यु व वारिसान गिरधारी प्रदर्श 4 तथा जमावंदी विरासतन ग्राम साहुवाला ॥ प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दोराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 12.12.1967 को हो गई है लेकिन उसके बाद भी वाद भूमि वादी के पिता गिरधारी के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए उक्त वाद भूमि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में दर्जित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी कणाउ संवत् 2076-79 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र गिरधारी नायब तहसीलदार नाथूसरी चौपटा प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र गिरधारी ग्राम पंचायत साहुवाला ॥ प्रदर्श 3, शपथ पत्र मय मृत्यु व वारिसान गिरधारी प्रदर्श 4 तथा जमावंदी विरासतन ग्राम साहुवाला ॥ प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 से कृषि भूमि वादी के पिता के नाम से होना साबित है तथा प्रदर्श 2 व 3 से गिरधारी के जायज वारिसान में शांति पत्नी गिरधारी, चार पुत्र धर्मपाल, औमप्रकाश, महावीर, रायसिंह, व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रदर्श 4 के अनुसार वाद भूमि में गिरधारी के नाम दर्ज भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण जायज वारिसान है। प्रदर्श 5 के अनुसार गिरधारी की मृत्यु के बाद ग्राम साहुवाला ॥ की कृषि भूमि में जरिये विरासतन नामान्तरण वादी व प्रतिवादीगण का अपने हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।


क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 370/348 के खसरा सं० 292 की 3.9460 है० वारानी, खसरा सं० 576 की 5.0970 है० वारानी कुल 9.0430 है० वारानी खातेदारी वादी के पिता गिरधारी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें से गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 4 के हिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी धर्मपाल प्रतिवादी सं० 2 औमप्रकाश प्रतिवादी सं० 3

महावीर प्रसाद प्रतिवादी सं० 4 रायसिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




स (सत्यनारायण) टंडन
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 144/2021

1. धर्मपाल पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

:- वादी

ब नाम

1. शांति पत्नी गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

2. औमप्रकाश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

3. महावीर प्रसाद पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

4. रायसिंह पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी साहुवाला ॥ त० व जिला सिरसा।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बैरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं० 370/348 के खसरा सं० 292 की 3.9460 है० बरानी, खसरा सं० 576 की 5.0970 है० बरानी कुल 9.0430 है० बरानी खातेदारी वादी के पिता गिरधारी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें से गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी धर्मपाल प्रतिवादी सं० 2 औमप्रकाश प्रतिवादी सं० 3 महावीर प्रसाद प्रतिवादी सं० 4 रायसिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़